न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 656 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रामाराम पुत्र लाधाराम जाति जाट निवासी जाखड़सर, नांद तहसील व जिला बाड़मेर।		1 राऊराम पुत्र लाधाराम 2 सवाईराम पुत्र जगाराम जाति जाट निवासी जाखड़सर नांद तहसील व जिला बाड़मेर 3 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा विशाला 4 तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री मनोज पारीक, वकील प्रार्थी पक्ष।
2. श्री गंगाराम विश्नोई वकील अप्रार्थी संख्या 01।
3. श्री मालाराम चौधरी, वकील अप्रार्थी सख्या 02।

आदेश

दिनांक 26/06/2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एंव कब्जाकाश्त के खेत मौजा जाखड़सर पटवर हल्का नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 223 / 58 रकवा 2.4281 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खेत मौजा जाखड़सर पटवर हल्का नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 485 / 58 रकवा 2.3229 हैक्टेयर व खसरा संख्या 482 / 55 रकवा 6.9687 हैक्टेयर में से चल रहें सरकारी रास्ते तक जाने के लिए एक मात्र रास्ता है । इसके अलावा प्रार्थी के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता घोपित किया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत से आम रास्ते पर जाने वाले सड़क मार्ग पर आसानी पूर्वक प्रार्थी, अप्रार्थीगण के खेत के आगे चल रहे सरकारी मार्ग पर आवागमन हेतू पहुंच सकें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता तथा अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जवाव पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, इसके बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया अतः जवाव का अवसर बंद गया। तहसीलदार बाड़मेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक राजस्व / 2025 / 367 दिनांक 15.04.2025 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया तथा प्रार्थी को अपने खसरान को जोड़ने के लिए डामर सड़क से जोड़ने के लिए न्यूनतम दूरी खसरा संख्या 485 / 58 व 482 / 55 से होता हुआ रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 223 / 58 तक पहुंचना उचित प्रतीत होता है। कटाण डामर सड़क खसरा संख्या 496 / 106 से खसरा संख्या 223 / 58 तक जाने हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्तो के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नही है। खसरा संख्या 498 / 106 गैमु आगोर प्रतिबंधित भूमि है। उक्त रास्ता की चौड़ाई 3 मीटर तथा लम्बाई 421 मीटर रखते हुए प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि जो मौजा जाखड़सर पटवर हल्का नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 485 / 58, 482 / 55 व 498 / 106 साथ ही रास्ते

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि की गणना की जाकर राशि का अंकन निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया हैं।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई / चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राऊराम पुत्र लाधाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार रहन हिस्सा पूर्ण राजस्थान मरूधरा ग्रमीण बैंक शाखा विशाला	485 / 58	2.3229	210 गुणा 3	0.063	46746 / –
2	सवाईराम पुत्र नगाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता राजस्थान मरूधरा ग्रमीण बैंक शाखा विशाला	482 / 55	6.9687	210 गुणा 3	0.063	46746 / –
3	ग्राम पंचायत नांद हिस्सा पूर्ण सा. देह संस्था के लिए	498 / 106	1.6835	211 गुणा 3	0.1266	–

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की वहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। कटाण डामर सड़क खसरा संख्या 496 / 106 से खसरा संख्या 223 / 58 तक जाने हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्तो के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नही है।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने वहस कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 को तहसीलदार बाडमेर द्वारा सूचना नही दी गई केवल अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में एकतरफा रिपोर्ट तैयार की गई है ना ही अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा तहसीलदार बाडमेर को स्वंय मौका रिपोर्ट बनाने के आदेश के बावजूद अधिनस्थ कर्मचारियों से मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई है, जो विधि विरूद्ध है। खसरा संख्या 498 / 106 गैर मुमकीन आगोर प्रतिवन्धित भूमि दर्शाई गई है नियमानुसार उक्त भूमि में रास्ता नही निकल सकता है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। मौका रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर उपस्थिति होकर नही वनाई गई है। तहसीलदार बाडमेर से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की वहस सुनी गई। तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शे का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता जो प्रार्थी को अपने खसरान को जोड़ने के लिए डामर सड़क से जोड़ने के लिए न्यूनतम दूरी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खसरा संख्या 485 / 58 व 482 / 55 से होता हुआ रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 223 / 58 तक पहुंचना उचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ता की चौड़ाई 6 मीटर लम्बाई 210 मीटर हैं। कटाण डामर सड़क खसरा संख्या 496 / 106 से खसरा संख्या 223 / 58 तक जाने हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। खसरा संख्या

उप खण्ड अधिकारी

498/106 गैर मुमकीन आगोर प्रतिवन्धित भूमि दर्शाई गई है नियमानुसार उक्त भूमि में रास्ता नही निकल सकता है। उक्त प्रस्तावित रास्तो के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नही है। अप्रार्थी संख्या 01 ने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार नही की गई है तथा न ही नोटिस जारी किये गये है, परन्तु मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि अप्रार्थीगण के पुत्र उपस्थित थे।

अतः वकील अप्रार्थी संख्या 01 की आपति खारिज की जाती है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित खसरा संख्या 498/106 गैर मुमकीन आगोर से रास्ता प्रस्तावित निरस्त किया जाता है तथा शेष खसरा संख्या 485/58 व 482/55 से प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त प्रस्तावित जगह निकटतम दूरी का व उपयुक्त रास्ता है, जो संलग्न नक्शा में बंरग "लाल" से प्रदर्शित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251-क के तहत ''प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है'' जो तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रस्तावित रास्ता डामर रोड के नजदीक है, दूसरे रास्ते का कोई विकल्प नही है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा जाखड़सर पटवर हल्का नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 223/58 रकबा 2.4281 हैक्टेयर से डामर सड़क तक पहुँचने हेतु निम्नानुसार रास्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :-

नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
2	3	4	5	6	7
राऊराम पुत्र लाधाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार रहन हिस्सा पूर्ण राजस्थान मरूधरा ग्रमीण वैंक शाखा विशाला	485/58	2.3229	210 गुणा 3	0.063	46746/-
सवाईराम पुत्र नगाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार रहन पूर्ण खाता राजस्थान मरूधरा ग्रमीण वैंक शाखा विशाला	482/55	6.9687	210 गुणा 3	0.063	46746/-

तहसीलदार वाडमेर को उक्त प्रस्तावित मार्ग अनुसार डीएलसी दर दुगुनी राशि के प्रार्थी वैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा सम्वन्धित खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तहसीलदार वाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 03.04.2025 के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाडमेर

आदेश आज दिनांक 26/06/2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर